

प्रपत्र - तीन


कार्यालय नायब तहसीलदार तहसील भाण्डेर जिला - दतिया (म.प्र.)

प्रक्र. ६५ /वी-१२१ / वर्ष...२०११-१२

दिनांक २८.१२.१६

स्थानी

- पत्र



प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु.

पिता/पति विजय सिंह गोतम निवासी रोड १५। तहसील बांधुरा जिला दतिया (मध्यप्रदेश)

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी प्रमाण - पत्र जारी किये जाने के लिए

प्रभावशील झापन दिनांक 20-12-2011 में निर्धारित मापदण्ड की कण्ठका क्रमांक
की पूरी करने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामन्य प्रशासन, विभाग के झापन क्रमांक सी-३/१७/१३/२०११ दिनांक 20-12-2011 के अधीन आवेदक द्वारा दिए विवरण अनुसार आवेदक की पत्नी/अवयस्क बच्चे जिनका विवरण नीचे वर्णित है, मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हैं -

पत्नी का विवरण	:	नाम.....आयु.....वर्ष.....
	:	(1) नाम.....पुत्र/पत्री, आयु.....वर्ष.....
	:	(2) नाम.....पुत्र/पत्री, आयु.....वर्ष.....
	:	(3) नाम.....पुत्र/पत्री, आयु.....वर्ष.....
	:	(4) नाम.....पुत्र/पत्री, आयु.....वर्ष.....
	:	(5) नाम.....पुत्र/पत्री, आयु.....वर्ष.....

टीप - यह प्रमाण-पत्र निर्धारण के लिए जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण-पत्र की
जांच में साक्ष्य हेतु विचारार्थ ग्राह्य नहीं होगा।

(आवेदक द्वारा प्रस्तुत शापथ-पत्र के आधार पर जारी)

*साक्ष्य न होने पर काट दें।

प्राप्ति शब्द - वीक्षण छोटी स्टेट, तहसील के सामने, बांधेर

तहसीलदार तहसील भाण्डेर
जिला दतिया